फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/124) **श्री पालीया मीणा बनाम श्री नाथीया मीणा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.10.2024	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री हितेशगिरी गोस्वामी - वकील अपीलार्थी 2. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-3 **अनवान** **1. श्री पालीया पिता श्री हेमा जी मीणा, निवासी बगेड़ी, तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री नाथीया पिता श्री हेमा मीणा (उल्लेखित अनुसार), तहसील लसाडिया, जिला उदयपुर।** **2. ग्राम पंचायत टटाकिया, जरिये सरपंच ग्राम टटाकिया, पंचायत समिति लसाडिया, जिला उदयपुर।** **3. तहसीलदार, भूमिधारक, ग्राम लसाडिया, जिला उदयपुर।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021, बउनवानी श्री नाथीया बनाम श्री पालीया मीणा व अन्य** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 22.10.2024 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाडिया द्वारा प्रकरण संख्या 01/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021, बउनवानी श्री नाथीया बनाम श्री पालीया मीणा व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री नाथीया मीणा द्वारा ग्राम पंचायत टटाकिया द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या-45 दिनांक 13.06.1971 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की और निवेदन किया कि मौजा बगेड़ी पटवार हल्का टटाकिया में आराजी संख्या 331, 337, 345, 3456, 520/1, 520/2, 521, 526/1, 526/2, 527, 532, 533, 542 किता 12 रकबा 2.6136 है. भूमि स्थित है, जो उसके नाम दर्ज होकर उसके पिता श्री हेमा काबिज काश्त थे। श्री नाथीया के पिता की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत टटाकिया द्वारा बिना वारिसान के जांच किये विरासत का नामान्तरकरण नाथीया व पालिया के नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि श्री नाथीया की श्री हेमा का एक मात्र पुत्र होकर विधिक वारिस है। श्री नाथीया को परेशान करने हेतु श्री पालीया द्वारा श्री हेमा का पुत्र बताकर विरासत के नामान्तरकरण में अपना नाम दर्ज करा लिया, जिसकी जांच ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। ऐसे में उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर श्री नाथीया के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/124) **श्री पालीया मीणा बनाम श्री नाथीया मीणा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

- उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया द्वारा प्रशासन गावं के संग अभियान कैंप टटाकिया में रखा जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौतबिरान के बयान दर्ज करा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2021 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लसाडिया को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्व. हेमा के विधिक वारिसान की जांच का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर नामान्तरकरण दर्ज करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया के उक्त निर्णय दिनांक 13.12.2021 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अन्दर मयाद अपील पेश की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात् न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 1485 दिनांक 06.09.2023 के क्रम में जिला सलुम्बर एवं राजसमंद का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से प्रकरण स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ जिसे दिनांक 11.09.2023 को दर्ज रजिस्टर हुई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 18.10.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अन्य बावजुद सूचना अनुपस्थित। प्रकरण का गुणावगुण पर अध्ययन किया गया।

अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में प्रस्तुत किया कि विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता के नाम दर्ज रही और उसकी मृत्यु उपरान्त जरिये नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 13.06.1971 से नाथीया एवं पालिया के नाम दर्ज रही और अपने हिस्से अनुसार वह काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त नामान्तरकरण के 50 वर्ष उपरान्त प्रत्यर्थी द्वारा नामान्तरकरण को चुनौती दी गई। पालीया दो वर्ष की आयु में ही श्री हेमा मीणा के कोई औलाद नहीं होने से अपने भाई भगवाना का पुत्र होने से उसे दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया गया। तत्कालीन समय में हेमा की पत्नि का स्वर्गवास हो चुका था, जिस पर श्री हेमा द्वारा नाता विवाह किया और उसके नुत्फे से श्री नाथीय का जन्म हुआ। हेमा के दोनों पुत्र नाथीया एवं पालीया समान हकव हिस्सा निहित होने से कोरम द्वारा विरासत से उक्त नामान्तरकरण दर्ज किया गया जिसे 50 वर्ष उपरान्त अपीलार्थी को बिना सुनवाई के निरस्त कर दिया गया। उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी कार्यवाही है, प्रत्यर्थी को अपने हक व अधिकार हेतु समक्ष न्यायालय में वाद की कार्यवाही की जानी थी जो नहीं की गई। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 13.06.1971 को यथावत रखा जावें।

तहसीलदार की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत होने से अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया। निर्णय पारित किये जाने से पूर्व समस्त पक्षकारान को सुना गया है, जिसकी ताईद में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध फर्द अहकाम पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर अंकित है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय समक्ष तथ्यों को छिपाया जा रहा है। प्रकरण में मौतबिरान के बयान दर्ज किये गये और जांच उपरान्त अपीलाधीन निर्णय पूर्णत विधि सम्मत पारित किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/124) **श्री पालीया मीणा बनाम श्री नाथीया मीणा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि मौजा बगेड़ी पटवार हल्का टटाकिया में आराजी संख्या 331, 337, 345, 3456, 520/1, 520/2, 521, 526/1, 526/2, 527, 532, 533, 542 किता 12 रकबा 2.6136 है. भूमि स्थित होकर श्री हेमा मीणा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। श्री हेमा की मृत्यु के पश्चात ग्राम पंचायत टटाकिया द्वारा विरासत का नामान्तरकरण नाथीया व पालिया के नाम दर्ज कर दिया गया। जिससे व्यथीत होकर प्रत्यर्थी-1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपील पेश की गई। उक्त अपील को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया द्वारा प्रशासन गावं के संग अभियान कैंप टटाकिया में रखा जाकर सभी पक्षकारान की उपस्थिति में मौतबिरान के बयान दर्ज करा अपने निर्णय दिनांक 13.12.2021 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लसाडिया को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्व. हेमा के विधिक वारिसान की जांच का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर नामान्तरकरण दर्ज करें। उक्त निर्णय के विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई। उक्त अपील में अपीलार्थी का प्रमुख उज्र यह रहा कि उसे सुनवाई का अवसर नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट हुआ कि दिनांक 13.12.2021 को समस्त पक्षकार कैंप कोर्ट में उपस्थित रहे और उनका पक्ष सुना गया। ताईद में पक्षकारान द्वारा फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर अंकित किये गये। इससे स्पष्ट है कि पक्षकारान का पक्ष सुना गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। प्रकरण में यह भी विवाद का बिन्दु रहा है कि श्री पालीया गौदपुत्र है, इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौतबिरान के बयान दर्ज किये गये जिसमें मौतबिरान द्वारा पालीया का गोदपुत्र होना एवं श्री नाथीया का हेमा का जायन्दा पुत्र होना माना है। हिन्दु उत्तराधिकार कानून एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा-40 के तहत पिता की सम्पत्ति में निर्वसीयती पिता की सम्पत्ति पर पुत्र एवं पुत्रियों का समान अधिकार होता है, इस विधिक स्थिति को हम स्वीकार करते है। यह भी प्रावधित है कि संतान का अपनी पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही अधिकार व हक निहित होता है। हस्तगत प्रकरण में यह न्यायालय पाता है कि विवादित भूमियां श्री हेमा के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित थी और जायन्दा पुत्र श्री नाथिया ही प्रथम श्रेणी का वारिस होना स्पष्ट है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में विरासत की जांच नहीं की गई, यह भी स्पष्ट है, ऐसे में आलौच्य नामान्तरकरण का विधि सम्मत होना प्रकट नहीं होता है। ऐसे त्रुटिपूर्ण निर्णय पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है, ऐसे अविधिक निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। जहां तक नामान्तरकरण की कार्यवाही में हक व अधिकार का प्रश्न है, निम्नांकित न्यायिक दृष्टांतों में यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि-

2021 आरबीजे पेज 670 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 135- Mutation proceedings are not record of right they are only fiscal in nature. Mutation proceedings do not confer any rights in the disputed land if non petitioner have any right in the disputed land best remedy available is to file suit for declaration and get their right decided in regular suit.

2002 आरआरटी (1) पेज 77 में यह प्रतिपादित किया है कि - RAJASTHAN LAND REVENUE ACT- 1956- Section 113- Mutation - Once

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 121/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/124) **श्री पालीया मीणा बनाम श्री नाथीया मीणा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

the dispute about the right to succession was raised at the time of mutation, it was not opento revenue authorities to adjudicate upon the right to succession but the matter should have been referred to the civil court.

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय उच्च न्यायालय व माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नामान्तकरण की प्रविष्टि कोई अधिकार, स्वामित्व अथवा हित सृजित नहीं करती है, केवल मात्र भौतिक प्रविष्टियां है और अपने अधिकारों, स्वामित्व व अन्य हकों के लिए समक्ष न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु सक्षम होना बताया गया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में अपीलार्थी को चाहिये कि वह अपने हक व अधिकार साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

हस्तगत प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया द्वारा सभी पहलुओं पर अपना विनिश्चय अभिलिखित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 13.12.2021 से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार लसाडिया को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्व. हेमा के विधिक वारिसान की जांच का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित कर नामान्तरकरण दर्ज करें। उक्त निर्णय एक तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। **अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लसाड़िया द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2021 यथावत रखा जाता है।** तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(सी.आर.देवासी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर